संख्या- 32 / 2018 / 1009 / 33-3-2018-100(26) / 2015

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल, 2018

विषय- 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा सामान्य बुनियादी अनुदान की द्वितीय किश्त के सापेक्ष अवमुक्त हेतु अवशेष रू. 4932675/- की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8/शा0/760/2017-8/24/2017 दिनांक 31.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2017-18 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान की द्वितीय किश्त की धनराशि रू. 30893317325/- (रू. तीस अरब नवासी करोड़ तैंतीस लाख सत्रह हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) को शासनादेश संख्या-22/2018/865/33-3-2018-100(26)/2015 दिनांक 31.03.2018 द्वारा अवमुक्त किया गया था। प्रथम किश्त अवमुक्त किए जाने में 01 दिन के विलम्ब के फलस्वरूप रू. 4932675/- दण्ड ब्याज के रूप में अवमुक्त करना पडा था। दण्ड ब्याज की उक्त धनराशि बजट में प्रावधानित धनराशि से कम हो जाने के कारण द्वितीय किश्त की धनराशि रू. 4932675/- कम अवमुक्त की गयी।

अत: जनपद-हापुड को द्वितीय किश्त में कम अवमुक्त धनराशि रू. 4932675/- को निम्नलिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जानें की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रायोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) शासकीय व्यय में मितव्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 934/ दस-2008-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

http://shasnadesh.up.nic.in

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होनें वाला व्यय चालू वित्त वर्ष 2018-19 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-198- ग्राम पंचायतों को सहायता-04- चौदहवें वित्त आयोग-0401- सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या- 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकारप्रथम/ आडिट प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त।
3- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 ।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनउ।
6- संबंधित बैंकों को।
7- निदेशकपंचायतीराजलेखा उ0प्र0।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
10- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
11- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी उ0प्र0।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in